पत्रांक–4 / **STA**.–(विविध)–04 / 2016

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

सुजाता चतुर्वेदी, भा0प्र0से0,
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार ।
प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक

विषयः परमिट के अनुरूप निर्धारित शर्तों पर वाहन का परिचालन नहीं करने एवं बिना परमिट के अवैध रूप से वाहनों का परिचालन करने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–818, दिनांक–15.02.2016 का कृपया स्मरण करें जिसके द्वारा दिनांक–26.12.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में परिवहन विभाग के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक में **"बार–बार मोटरवाहन अधिनियम का दुरूपयोग करने वाले दोषियों के अनुज्ञा पत्र (Prmit) को रद्द करने की दिशा में नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने"** हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया था ।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर वाहनों का परिचालन करने तथा निर्धारित भाड़े से अधिक भाड़ा यात्रियों से वसूल करने एवं बिना परमिट के अवैध रूप से वाहनों का परिचालन करने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रवृति पर अंकुश लगाने हेतु निदेश दिया जाता है कि विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त निदेश के आलोक में पुरे राज्य में विशेष अभियान चलाकर बसों / वाहनों का औचक निरीक्षण / जांच कार्य करेंगे तथा अवैध रूप से बिना परमिट के संचालित एवं परमिट के शर्तों का उल्लघंन कर परचिालित वाहनों पर नियमानुसार जब्ति, शमन आदि की कार्रवाई करेगें तथा कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 1990 पटना,दिनांक 27/04/2016

प्रतिलिपिः– 1. सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार / सभी पुलिस अधीक्षक (यातायात), बिहार को सूंचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित पदाधिकारी को उनके ई–मेल पर तथा विभागीय बेव–साईट पर इस पत्र को अपलोड करवाना सुनिश्चित करें ।

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

R.K.P-531